न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./148/2024 जी0सी0एम0एस0 2024/304

1. शोकिन नाथ पुत्र शंकर नाथ जाति कालबेलियां, निवासी नीमेड़ा ग्राम पंचायत लामगरा तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र लादू बैरवा जाति बैरवा निवासी नीमेड़ा ग्राम पंचायत लामगरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. महावीर पुत्र लादू जाति बैरवा जाति बैरवा निवासी नीमेड़ा ग्राम पंचायत लामगरा तहसील भिनाय जिला अजमेर(विलोपित)
3. बालू पुत्र जवारा जाति बैरवा निवासी नीमेड़ा ग्राम पंचायत लामगरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. गजरा उर्फ रंगलाल पुत्र छगना जाति जाट निवासी नीमेड़ा ग्राम पंचायत लामगरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
5. सांवरा पुत्र मगना जाति बैरवा निवासी नीमेड़ा ग्राम पंचायत लामगरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
6. राधाकिशन पुत्र सुखदेव जाति भांबी निवासी नीमेड़ा ग्राम पंचायत लामगरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
7. सत्यनारायण मेघवंशी पुत्र सुखदेव जाति भांबी निवासी नीमेड़ा ग्राम पंचायत लामगरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
8. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय भिनाय, तहसील भिनाय जिला अजमेर (राज.)

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः–20.05.2025

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री प्रवीण प्रकाश भट्ट
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा नीमेड़ा पटवार क्षेत्र निमेड़ा भू0अ0नि0 क्षेत्र चांपानेरी के खाता सं0 540 में दर्ज खसरा नम्बर 1588 रकबा 0.57 हैक्ट कुल किता 01 कुल रकबा 0.57 हैक्ट** जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 07 द्वारा प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 08 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थीगं ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 तथा 03 लगायत 07 की नियमानुसार पत्रावली में तलबी उपरान्त भी अनुपस्थित रहने के कारण अप्राथी संख्या 01 तथा 03 लगायत 07 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 दीवानी जाप्ता वास्ते नाम विलोपित अप्रार्थी संख्या 02 महावीर पुत्र लादू स्वीकार होने से अप्रार्थी संख्या 02 का नाम पत्रावली से विलोपित किया गया, तथा पत्रावली में लाल स्याही से अप्रार्थी संख्या 02 के आगे विलोपित अंकित किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में जवाब सरकार पेश करते हुए, प्रश्नगत आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात बताते हुए, प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होने की टिप्पणी पत्रावली आदेशिका पर अंकित की। पैरोकार सरकार द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की गई। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाती है। पत्रावली में बहस पत्रावली सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब अनुसार कथन दौहराये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम निमेड़ा के खाता संख्या 540 संवत 2072–2075(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा नीमेड़ा पटवार क्षेत्र निमेड़ा भू0अ0नि0 क्षेत्र चांपानेरी के खाता सं0 540 में दर्ज खसरा नम्बर 1588 रकबा 0.57 हैक्ट कुल किता 01 कुल रकबा 0.57 हैक्ट** हेतू नायब तहसीलदार देवलियांकलां को 500/– रू(पांच सौ रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को नियमानुसार पूर्व सूचना देने के उपरान्त, प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर) सत्यमेव जयते

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, अजमेर
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

CS CamScanner